

मध्य प्रदेश में MSME क्षेत्र की विकास दर में कमी

चर्चा में क्यों?

वर्गित दो वर्षों में मध्य प्रदेश में **MSME (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम)** क्षेत्र की वृद्धि दर में कमी आई है, जिसमें पंजीकरण में कमी और बंद होने वाले उद्यमों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। यह राज्य के **आर्थिक विकास** में आने वाली चुनौतियों को उजागर करता है।

मुख्य बंदि

- **पंजीकरण में कमी:**
 - केंद्र सरकार के आँकड़ों के अनुसार, **2023-24 (URP)** के तहत मध्य प्रदेश में **MSME पंजीकरण** वर्ष 2024-25 में पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ।
 - वित्तीय वर्ष 2024-25 में **231,164 MSME** पंजीकृत हुए, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह संख्या **249,009** थी।
- **बंद होने और पंजीकरण रद्द होने की संख्या में वृद्धि**
 - मध्य प्रदेश में बंद होने वाले MSME की संख्या भी तेज़ी से बढ़ी है।
 - वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,961 MSME बंद होने के कारण अपंजीकृत हुए, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह संख्या केवल 552 थी।
- **क्षेत्रवार कमी:**
 - वनरिमाण, सेवा और व्यापारिक क्षेत्रों में व्यापक गिरावट यह दर्शाती है कि राज्य की विभिन्न उद्योग शाखाओं पर प्रणालीगत चुनौतियाँ प्रभाव डाल रही हैं, जिसके लिये लक्ष्यित हस्तक्षेप आवश्यक हैं।
- **कारण:**
 - केंद्र सरकार ने MSME के अपंजीकरण के कारणों में **स्वामित्व में बदलाव, व्यवसाय स्थल परिवर्तन और अन्य परिचालन संबंधी कारकों** को प्रमुख कारण बताया है।
- **सरकार की प्रतिक्रिया और पहल:**
 - मध्य प्रदेश **MSME विकास नीति 2025:** यह नीति MSME की वृद्धि को बढ़ावा देने हेतु अनुकूल वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है, जिसमें उत्पादकता और नवाचार को सशक्त करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
 - मुख्यमंत्री का MSME हेतु दृष्टिकोण: **अंतरराष्ट्रीय MSME दिवस** (27 जून) के अवसर पर, मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में MSME की सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उनका लक्ष्य प्रत्येक घर में कम-से-कम एक सदस्य के लिये स्वरोज़गार या रोज़गार सुनिश्चित करना है।

उद्यम पंजीकरण पोर्टल (URP) और उद्यम अससिट प्लेटफार्म (UAP):

- पंजीकरण संबंधी चुनौतियों को हल करने हेतु, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 1 जुलाई, 2020 को **उद्यम पंजीकरण पोर्टल (URP)** लॉन्च किया।
 - यह MSME के पंजीकरण को सरल बनाता है और उन्हें सरकारी लाभ, सरकारी खरीद में भागीदारी तथा योजनाओं और सब्सिडी तक पहुँच प्रदान करता है।
- **उद्यम अससिट प्लेटफार्म (UAP)** 11 जनवरी, 2023 को लॉन्च किया गया, ताकि अनौपचारिक माइक्रो-उद्यमों (IMEs) को पंजीकरण में सहायता मिल सके, विशेषकर उन IMEs को जो **GST** से मुक्त हैं और जिनके पास **PAN** नहीं है।
 - यह प्लेटफार्म IMEs को पंजीकरण कराकर समान लाभ प्रदान करता है और व्यवसाय करने में सुविधा प्रदान करता है।

